

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

10न0 - 44 / 2019

निदान :-

1. चिरंजीलाल पुत्र लिच्छीराम निवासी वार्ड सं. 16 हाल वार्ड नं. 19 तहसील भादरा।


:-वादी

बनाम

1. सुमित्रा देवी पुत्री लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. बाबुराम पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. पवन कुमार पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसील भादरा।
4. अरुणा देवी पुत्री लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा हाल निवासी हिसार हरियाणा।
5. सुरेश कुमार पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसील भादरा।
6. रागनिवास पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा, तहसील भादरा।
7. राजकुमारी पुत्री लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसील भादरा।
8. दुर्गा देवी पत्नी लिच्छीराम जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसील भादरा।
9. ओ. वी. सी. बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक महोदय।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दिवानसिंह व वकील प्रतिवादीगण श्री कृष्ण गर्ग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर गद वादी डिक्की किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक चक 8 एसडीआर की मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 139/124 के मु० नं० 93 के किला नं. 25 व मु० नं० 94 के किला नं० 21 के कुल कित्ता 2 की 0.506 हैक्टर नहरी कृषि भूमि वादी के पिता लिच्छीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि में वादी चिरंजीलाल पुत्र लिच्छीराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 8 ने वादभूमि में से अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्की आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



Kalpit
(कल्पित शिवरान R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला भादरा) जिला हनुमानगढ़

